संख्या-91/2015/1560/78-2-2015-53आई.टी./2008

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
   उ0प्र0 शासन।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
   निर्वाचन विभाग,
   उत्तर प्रदेश।

आई.टी. एवं इलेक्टानिक्स अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक: 23 सितम्बर, 2015**

विषयः ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से दी जा रही 09 विभागों की 26 सेवाओं तथा अन्य विभागों की चिन्हित 90 सेवाओं को बढ़ाये जाने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

आप अवगत ही है कि वर्तमान में प्रदेश सरकार द्वारा 09 विभागों की 26 शासकीय सेवायें इलेक्ट्रानिक प्रणाली के माध्यम से ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से आम जनमानस को उपलब्ध करायी जा रही है, जिससे तददिनांक तक प्रदेश के 5.11 करोड़ आम जनमानस लाभान्वित हो चुके हैं। प्रदेश के आम जनमानस को शासकीय सेवायें त्वरित गति एवं पारदर्शिता से उपलब्ध कराना मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के विकास एजेण्डा में भी सम्मिलित है। इस संबंध में आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग द्वारा वर्तमान में दी जा रही ऑनलाइन सेवाओं के सुदृढ़ीकरण तथा ऑनलाइन सेवाओं को बढ़ायें जाने के संबंध में कई बैठकें भी की जा चुकी हैं। उक्त के दृष्टिगत प्रकरण में निम्नवत कार्यवाही निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत सुनिश्चित की जाय:-

1. 09 विभागों की 26 शासकीय सेवाओं (संलग्नक-1) को केवल इलेक्ट्रानिक प्रणाली से ही प्रदान किये जाने हेतु यथावश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करा ली जाय एवं विभाग स्तर से मैनुअल प्रक्रिया को समाप्त किये जाने हेतु शासनादेश निर्गत किये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
2. अपने विभाग से सम्बन्धित 90 सेवाओं (संलग्नक-2) को इलेक्ट्रानिक प्रणाली से उपलब्ध कराये जाने तथा ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इन्टीग्रेट कराये जाने हेतु निर्धारित समय-सीमा (संलग्नक-3) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. अन्य समस्त विभाग जिनकी सेवाये वर्तमान में आनलाईन माध्यम से आम जनमानस को उपलब्ध करायी जा रही है, को भी ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इन्ट्रीग्रेट कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। अन्य विभागों जिनका उल्लेख संलग्नकों में नहीं है के द्वारा भी वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रदत्त की जा रही सेवाओं को आनलाइन माध्यम से उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक साफ्टवेयर एवं हार्डवेयर की व्यवस्था कर ली जाय तथा विकसित होने वाले पोर्टल्स का इन्टीग्रेशन भी यथासंभव ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से सुनिश्चित किया जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4. उ0प्र0 आई.टी. नीति-2012 में विभागों द्वारा आई.टी. सम्बन्धी कार्यों के सम्पादन हेतु आय-व्ययक में 2 प्रतिशत की धनराशि रखे जाने की व्यवस्था है। कृपया उपरोक्त कार्यों हेतु आय-व्ययक में आवश्यक धनराशि की व्यवस्था भी सुनिश्चित कर ली जाय।

भवदीय,

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव

संख्याः 91/2015/1560(1)/78-2-2015 तददिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. निजी सचिव, प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. निजी सचिव, विशेष सचिव, आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. राज्य समन्वयक, सीईजी, गोमती नगर, लखनऊ।
5. हेड, एस.ई.एम.टी.।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(भूपेन्द्र एस0 चौधरी)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।